2024/202

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री माधोसिंह पुत्र श्री भूरसिंह
निवासी मु. पोस्ट आमथला
तहसील देलदर
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार देलदर

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 — मुकदमा नं. 28 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.07.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलदर को दिनांक 07.03.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मौजा कारोली में खसरा नं. 43 गै.मु. नाला पर श्री चन्दनसिंह पुत्र श्री भूपतसिंह राव निवासी कारोली द्वारा होटल बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिसमें तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.02.2020 को नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद से अब तक क्या कार्यवाही की गई, उसकी सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/— जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलदर को दिनांक 07.03.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मौजा कारोली में खसरा नं. 43 गै.मु. नाला पर श्री चन्दनसिंह पुत्र श्री भूपतसिंह राव निवासी कारोली द्वारा होटल बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिसमें तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.02.2020 को नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद से अब तक क्या कार्यवाही की गई, उसकी सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलदर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर—ए—इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner